<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2023 **दायर दिनांकः 25/08/2023**

उनवान

1. गिरजाशंकर आयु 67 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति रावल
2. मोहनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति रावल
3. नन्दकंवर आयु 65 वर्ष पुत्री घांसीलाल जाति रावल
4. शकुन्तला आयु 58 वर्ष पुत्री घांसीलाल जाति रावल निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9928128134

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 17.03.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके वाके ग्राम एवं माल कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 190 का ख.नं. 179 का रकबा 0.29 हे० प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थीगण की जाति रावल के स्थान पर बारेठ तथा प्रार्थीगण पिता का नाम घांसीलाल के स्थान पर घासी गलत दर्ज कर रखा है। जबकि प्रार्थीगण की सही जाति रावल है तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम घांसीलाल है। प्रार्थी क्रम 2 मोहनलाल के ग्राम कवाई की खाता संख्या [illegible] का ख.नं. 712 का रकबा 0.26 हे० आराजी में जाति रावल व उसके पिता का नाम घांसीलाल सही दर्ज है तथा मोहनलाल द्वारा अपनी पत्नि गीतादेवी के पक्ष में किये गये दान पत्र में भी प्रार्थी क्रम 2 की जाति रावल व पिता का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

घांसीलाल सही दर्ज है। प्रार्थीगण के दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत कवाई द्वारा जारी पट्टा, ग्राम पंचायत कवाई का प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण की जाति रावल सही दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम घांसीलाल सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम कवाई की आराजी खाता संख्या 190 में प्रार्थीगण की जाति बारेठ के स्थान पर रावल तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम घासी के स्थान पर घांसीलाल दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण की जाति व प्रार्थीगण के पिता का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण की जाति बारेठ के स्थान पर सही जाति रावल तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम घासी के स्थान पर सही नाम घांसीलाल दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम कवाई की आराजी खाता संख्या 190 में प्रार्थीगण की जाति बारेठ के स्थान पर सही जाति रावल तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम घासी के स्थान पर सही नाम घांसीलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में जबाव चाहा गया। तहसीलदार अटरू जवाब पेश किया गया जो शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण ने साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw1 से pw4 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा pw2 के बयान लेखबद्व किये तथा रिकार्ड प्रदर्स किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बह[illegible]ाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के [illegible] में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कवाई सम्वत 2075–78 खाता संख्या 190, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कवाई सम्वत 2075–78 खाता संख्या 557, ग्राम पंचायत कवाई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मोहनलाल दिनांक 16.08.1982, राशन कार्ड मोहनलाल भाटी, पेन कार्ड मोहनलाल भाटी, आधार

कार्ड मोहन लाल भाटी, आबादी भूमि का ग्राम कवाई पट्टा, दान पत्र दिनांक 31.08.2015, पंजीयन शुदा पट्टा दिनांक 20.03.2007, शपथ पत्र छोटेलाल पुत्र नन्दलाल, शपथ पत्र मोतीलाल पुत्र अमरलाल, जाति प्रमाण पत्र गिरजा शंकर मोटिस, नकल जाति प्रमाण पत्र मोहनलाल भाटी, नकल जाति प्रमाण पत्र विजयराज भाटी, नकल जाति प्रमाण पत्र सोनाली भाटी व नकल जाति प्रमाण पत्र अरूण भाटी का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट, साक्ष्य गवाहों तथा राज्य सरकार के परिपत्र – राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प0 4(1)राज–6/2002/16 जयपुर दिनांक 28.12.2017 के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 190 का ख.नं. 179 का रकबा 0.29 हे० आराजी में प्रार्थीगण की जाति बारेठ के स्थान पर रावल तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम घासी के स्थान पर घांसीलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 190 का ख.नं. 179 का रकबा 0.29 हे० आराजी में प्रार्थीगण की जाति बारेठ के स्थान पर रावल तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम घासी के स्थान पर घांसीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां